रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 35(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	**चीनी उद्योग**	**बहि:स्राव**	सभी सांद्रण मूल्य सिवाय पीएच के मिलीग्राम प्रति लीटर में है
		पीएच	5.5 – 8.5
		कुल निलंबित ठोस पदार्थ (टीएसएस), मिलीग्राम प्रति लीटर	100 (भूमि पर निपटान के लिए) 30 (भू-पृष्ठ जल पर निपटान के लिए)
		जैव आक्सीजन मांग, बीओडी, [27° सेंटीग्रेट पर तीन दिन], मिलीग्राम प्रति लीटर	100 (भूमि पर निपटान के लिए) 30 (भू-पृष्ठ जल पर निपटान के लिए)

		तेल एवं ग्रीज़, मिलीग्राम प्रति लीटर	10
		कुल भंग ठोस पदार्थ (टीडीएस), मिलीग्राम प्रति लीटर	2100
		अंतिम अपशिष्ट जल बहि:स्राव सीमा	200 लीटर प्रति टन पेराई किए हुए गन्ने के लिए
		(पेराई किए हुए गन्ने के प्रति टन के लिए अंतिम उपचारित अपशिष्ट बहि:स्राव 100 लीटर तक निर्बंधित है और छिड़काव तालाब ओवरफ्लो से अपशिष्ट जल या शीतलन टावर ब्लो डाउन पेराई किए हुए गन्ने के लिए 100 लीटर प्रति टन तक निर्बंधित है तथा इकाई से एकल आउटलेट बिन्दु अनुज्ञात है)	
		उत्सर्जन	
		स्टेक से विविक्त पदार्थ उत्सर्जन प्रति सामान्य क्यूबिक मीटर 150 मिलीग्राम से कम होगा ।	

4(1) चीनी उद्योगों में उपचारित बहि:स्राव सिंचाई प्रोटोकाल और अपशिष्ट जल संरक्षण या अपशिष्ट जल प्रबंधन

(i) विभिन्न मृदा टेक्सचरों के लिए लदाई दरें

क्रम सं.	मृदा टेक्सचर	m^3/Ha/Day में लदाई दर
1.	रेतीली	225 से 280
2.	रेतीली दुमट	170 से 225
3.	दुमट	110 से 170
4.	क्ले दुमट	55 से 110
5.	क्ले	35 से 55

(ii) अपशिष्ट जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन

1. अधिक साधित्र जल के पुन: चक्रण के लिए उपयोगिताओं या अनुषंगी इकाईयों के प्रसंस्करण के लिए शीतलन प्रबंधन और पालिसिंग टैंकों की स्थापना हो ।
2. अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का पेराई ऋतु आरंभ होने से एक मास पूर्व स्थिरीकरण किया जाएगा और यह पेराई ऋतु के पश्चात् एक मास तक प्रचालन करना जारी रखेगा ।
3. सिंचाई के लिए कोई मांग नहीं अवधि के दौरान उपचारित अपशिष्ट जल को केवल 15 दिन की धारण क्षमता वाले रिसाव रोधी लाइन तालाब में भंडारित किया जाएगा ।
4. बहावमापी को सभी जल ऐब्स्ट्रैक्शन बिन्दुओं पर प्रतिस्थापित किया जाएगा और ताजे जल के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा ।
5. समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों को विविक्त पदार्थ उत्सर्जन मानक को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा ।"।

[फा.सं. क्यू-15017/31/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

IndiaCode

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ.सं0 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :

का.आ. सं. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. सं. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010; सा.का.नि. सं. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. सं. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. सं. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014; का.आ. सं. 3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 और अंत में अधिसूचना का.आ. सं. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे |

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and Commencement.- (1)** These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2016.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule-I to the Environment (Protection) Rules, 1986, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Industry	Parameters	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	**SUGAR INDUSTRY**	**EFFLUENTS**	**All concentration values are in milligramme per litre except for pH**
		pH	5.5 – 8.5
		Total Suspended Solids (TSS), milligramme per litre	100 (for disposal on land) 30 (for disposal in surface waters)
		Biological Oxgyen Demand ,	100 (for disposal on land)

		BOD[3 days at 27°C], milligramme per litre	30 (for disposal in surface waters)
		Oil & Grease , milligramme per litre	10
		Total Dissolved Solids (TDS), milligramme per litre	2100
		Final wastewater discharge limit	200 litre per tonne of cane crushed
		(Final treated effluent discharge restricted to 100 litre per tonne of cane crushed and Waste water from spray pond overflow or cooling tower blow down to be restricted to 100 litre per tonne of cane crushed and only single outlet point from unit is allowed.)	
		EMISSIONS	
		The particulate matter emissions from the stack shall be less than 150 milligramme per normal cubic metre	

4(1) Treated effluent Irrigation protocol and waste water conservation or waste water management in Sugar industries

(i) Loading rates for different soil textures

S.N	Soil Texture	Loading rate in m^3/Ha/Day
1	Sandy	225 to 280
2	Sandy loam	170 to 225
3	Loam	110 to 170
4	Clay loam	55 to 110
5	Clay	35 to 55

(ii) Waste water conservation and pollution control management

1. Establishment of cooling arrangement and polishing tank for recycling the excess condensate water to process or utilities or allied units.
2. Effluent Treatment Plant to be stabilized one month prior to the start of the crushing season and continue to operate one month after the crushing season.
3. During no demand period for irrigation, the treated effluent to be stored in a seepage proof lined pond having 15 days holding capacity only.
4. Flow meter to be installed in all water abstraction points and usage of fresh water to be minimized.
5. Suitable Air pollution control devices to be installed to meet the particulate matter emission standard.".

[F.No. Q-15017/31/2007- CPW]
DR. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S. O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July,2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013;

G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November, 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015 and lastly amended *vide* notification S.O. 4(E), dated the 1st January, 2016.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.